



**THE  
JHARKHAND GAZETTE  
EXTRAORDINARY  
PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

**No. 770**

**28 Aashwin, 1938 (S)  
Ranchi, Friday, 20<sup>th</sup> October, 2017**

---

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
**NOTIFICATION**

**18<sup>th</sup> October, 2017**

**S.O. No. 104 - Dated 20<sup>th</sup> October, 2017--** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as Jharkhand Goods and Services Tax Act, on the recommendations of the Council, the Government of Jharkhand hereby specifies that the officers appointed under the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the “Jharkhand Goods and Services Tax Act”) who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act (hereafter in this notification referred to as “the said officers”) by the Commissioner, Department of Commercial Taxes, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act read with the rules made there under, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]  
By the order of the Governor of Jharkhand

**K. K. Khandelwal,**  
Principal Secretary-cum Commissioner

## वाणिज्य-कर विभाग

-----

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

**एस० ओ० 104 - दिनांक 20 अक्टूबर, 2017--** झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "एसजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियमों" कहा गया है) के अधीन, उक्त अधिनियम के आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारियों" कहा गया है) होने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं, उक्त अधिकारियों की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, की बाबत झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के सिवाय इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के लिए उचित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

2. यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**के० के० खण्डेलवाल,**

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

-----